न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा.पत्र संख्याः— 50/2018

निर्णय दिनांकः— 01.04.021

उनवान

1. रमेश पुत्र मोहन जाति बैरवा निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
2. राधेश्याम पुत्र मोहन जाति बैरवा निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
3. राजेन्द्र पुत्र मोहन जाति बैरवा निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
4. रविन्द्र पुत्र मोहन जाति बैरवा निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
5. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत् उदघोषणा, दु0 इन्द्राज, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री बाबुलाल कासलीवाल वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में निम्न प्रकार है—

यह है कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के पूर्वजां की पुश्तेनी आराजी खसरा न0 101/1/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा , ख0न0 528/5/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 100/3 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा मे स्थित हैं । पिछले वर्षो मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त साबित ख0न0 से नये ख0न0 532 करबा 0.01, ख0न0 533 रकबा 1.35 , ख0न0 541 रकबा 0.88, ख0न0 2013 रकबा 0.59 कुल किता 4 कुल रकबा 2.82 है वाके ग्राम ककोड बनाये गये हैं तत्पश्चात सम्वत 2058 मे किये गये सेटलमेंट मे उक्त आराजी के ख0न0 552 करबा 0.01, ख0न0 553 रकबा 1.35, ख0न0 562 रकबा 0.88, ख0न0 1809 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक बनाये गये हैं

वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादा नाथू को 13.01.1962 को जरिये नामान्तरकण संख्या 76 वाके ग्राम ककोड रिजुम जागिर होने पर उकत आराजी कब्जे के आधार पर उपकृषक मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी, जां से प्रार्थी के दादा की मृत्यु होने पर उक्त आराजी प्रार्थी के पिता व उनके भाई छीतर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई । छीतर के लाऔलाद फोत होने पर उक्त आराजी का नामान्तरकण प्रार्थी के पिता मोहन व उसकी बहिन शांति के पक्ष मे तस्दीक किया गया । प्रतिपक्षी न0 1 मोहन की बहीन शांति की मृत्यु हो चुकी हैं और प्रार्थी के पिता प्रतिपक्षी न0 1 ही वादग्रस्त आराजी का खातेदार खाश्तकार है।

वर्तमान में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार मे प्रार्थी तथा प्रतिपक्षी न0 1 ता 4 जीवित सहदायिक है, जिनका वादग्रस्त आरजीयात मे जन्म से ही 1/5–1/5 हिरेस पर हक व अधिकार

है। परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद व बदमाश किश्म के व्यक्ति है तथा जबरन लठ के जोर पर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी व काबिज आराजी आराजी खसरा न0 552 करबा 0.01, ख0न0 553 रकबा 1.35, ख0न0 562 रकबा 0.88, ख0न0 1809 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण की बाद तामील नोटिस प्राप्त । प्रतिपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आये। अतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाी अमल मे लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार मे प्रार्थी तथा प्रतिपक्षी न0 1 ता 4 जीवित सहदायिक है जिनका वादग्रस्त आरजीयात मे जन्म से ही 1/5–1/5 हिस्से पर हक व अधिकार है। परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद व बदमाश किश्म के व्यक्ति है तथा जबरन लठ के जोर पर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व काबिज आराजी खसरा न0 552 करबा 0.01, ख0न0 553 रकबा 1.35, ख0न0 562 रकबा 0.88, ख0न0 1809 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से 1/5 मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त में बाधा उत्पन्न करे , ना ही भुमि को रहन, बैचान, हस्तानान्तरण आदि करे।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम ककोड आराजी ख0न0 552 करबा 0.01, ख0न0 553 रकबा 1.35, ख0न0 562 रकबा 0.88, ख0न0 1809 रकबा 0.58 है0 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे प्रार्थीका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा न0 552 करबा 0.01, ख0न0 553 रकबा 1.35, ख0न0 562 रकबा 0.88, ख0न0 1809 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से 1/5 मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त में बाधा उत्पन्न करे , ना ही भुमि को रहन, बैचान, हस्तानान्तरण आदि करे। पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.),
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक

TI. FESLA.14